संख्या–78 / सैंतीस–2–2018–1(25) / 2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक– 17 जनवरी, 2018

विषयः– **प्रदेश में पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों / मेलों (मण्डल स्तर / विकासखण्ड स्तर पर) के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्ययोजना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–12 / प0–2 / 36 / पशु आरोग्य शिविर / 2017–18, दिनांक–04.01.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों / मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1841(1) / सैंतीस–2–2017–1(25) / 2017, दिनांक–23.10.2017 तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेलों (न्याय पंचायत स्तर पर) का आयोजन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1841(3) / सैंतीस–2–2017–1(25) / 2017, दिनांक–23.10.2017 द्वारा जारी प्रशासकीय आदेश / कार्ययोजना को एतदद्वारा अवकमित / निरस्त करते हुए मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन व विधायी अनुमोदन के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यवस्थित धनराशि की सीमा में ही व्यय किये जाने के प्रस्ताव के आधार पर उक्त मेलों / शिविरों की वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्ययोजना निम्नानुसार निर्गत की जा रही हैः–

(क) पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर / मेला (विकास खण्ड स्तर पर)

1– प्रस्तावनाः–

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2012 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 205.66 लाख गौवंशीय, 306.25 लाख महिषवंशीय, 13.54 लाख भेड़, 155.86 लाख बकरी, 13.34 लाख सूकर एवं 186.68 लाख (कुक्कुट) की संख्या को आधारित करते हुये पशुपालको को पशुचिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश के 70 प्रतिशत लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन कृषको द्वारा पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है। प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। पशुधन के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 9 प्रतिशत का सीधा योगदान है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश, देश में दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है परन्तु अधिक दुग्ध उत्पादन प्रदेश की विशाल पशुधन संख्या मुख्यतः भैंसों के कारण है। प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता बहुत कम है, जो निम्नवत् है :–

अ0नि0(गो0वि0)
17-01-2018

वर्तमान में गाय एवं भैंस का उत्पादकता का स्तर

पशु प्रजाति	दुग्ध उत्पादकता (कि0ग्रा0 / प्रति पशु / प्रति दिन)
देशी गाय	2.59
संकर गाय	7.85
भैंस	4.66

विभाग में पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ–साथ कृषकों के सर्वांगीण विकास हेतु कई लाभकारी योजनाए लागू की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशुओं में त्वरित गति से नस्ल सुधार, पशुधन बीमा, पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, जर्जर पशुचिकित्सालयों का उद्धार तथा गौशालाओं के सुदृढीकरण के साथ–साथ गोवंशीय पशुओं की रक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। गाय एवं भैंसों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य के किसानों के व्यापक विकास के लिए उचित तकनीक के साथ स्वदेशी नस्लों के संरक्षण हेतु प्रयत्नशील है।

राज्य में कम उत्पादक गोवंशीय प्रजाति की संख्या और दूध की बढ़ती मांग के कारण राज्य में पशु प्रजनन के आधारभूत रूवरूप में विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को

और अधिक वैज्ञानिक/प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ–साथ उक्त सुविधा किसानों के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 21 करोड़ मानव आबादी के लिए अनाज और दलहन के अलावा दूध, मांस और अंडे खाद्य सुरक्षा के पूरक के रूप में हैं। मानव आबादी में वृद्धि के साथ पशुओं के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है। वर्तमान स्तर के मुकाबले दुग्ध उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिये आवश्यक है कि वर्तमान पशु प्रजनन आच्छादन को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि दुधारू पशुओं में बॉझपन समस्या से ग्रसित पशुओं को समय से समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में लाया जाय।

2– योजना का उद्देश्यः–

- शिविर में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, लघु शल्य चिकित्सा के साथ–साथ अनुर्वरता (बॉझपन) से ग्रसित दुधारू पशुओं की पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराकर उन्हें पुनः दुग्ध उत्पादन में लाया जाना। शिविर/मेलों में पशुपालकों से कोई लेवी नहीं ली जानी है।
- कृषकों को उन्नत पशुपालन हेतु जागरूक एवं क्षमता विकास करना।
- पशुपालकों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराना एवं लाभ प्राप्त कराना।
- कृषकों को संतुलित पशु आहार, वर्ष भर हरे चारे के उत्पादन, समय से पशु टीकाकरण हेतु सजग करना, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ पशु प्रबन्धन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषकों/पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।
- मेले में आये एवं इच्छुक पशुपालकों के पशुओं को पशुधन बीमा से लाभान्वित कराना।

3– मेला आयोजन हेतु स्थल का चयनः–

प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय के तीन कि0मी0 की परिधि के किसी एक ग्राम में, जहॉ पशुओं की संख्या अधिक हो, में निम्न मानकों को ध्यान में रखते हुए पशुधन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाना है :–

- चिन्हित ग्राम में पशु आरोग्य मेला के आयोजन हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो।
- पशुओं को बांधने हेतु पर्याप्त जगह तथा पीने के पानी की उपलब्धता हो।
- ग्राम में आवागमन की उचित सुविधा एवं संपर्क मार्ग हो।
- चयनित क्षेत्र/ग्राम में अधिक से अधिक कृषक/पशुपालकों को अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग करने में यथा संभव कम से कम दूरी तय करनी पड़े।

4– रणनीतिः–

- प्रदेश के समस्त जनपदों में विकास खण्ड स्तर पर पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगा।
- उक्तानुसार प्रदेश में एक वित्तीय वर्ष में 821 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेलों का आयोजन किया जाना है।
- उपरोक्त भौतिक लक्ष्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु पशु आरोग्य मेलों का आयोजन का माहवार भौतिक लक्ष्य निम्नवत् है :–

माह	जनवरी	फरवरी	1–15 मार्च	कुल शिविरों की संख्या
शिविर संख्या	236	417	168	821

- मेला आयोजन का समय नवम्बर से मार्च तक प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक तथा अप्रैल से अक्टूबर तक प्रातः 7:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक निर्धारित है किन्तु यदि मेले में पशुओं की संख्या अधिक होती है तो समस्त पशुओं की चिकित्सा के उपरान्त तथा पशुपालन निदेशालय पर स्थापित कन्ट्रोल रूम को अवगत कराने एवं निर्देश प्राप्त होने पर ही मेले का समापन होगा।
- मेले के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पशुपालन निदेशालय, लखनऊ में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर : 0522– 2740010 तथा टोल फ्री नम्बर : 1800 180 5141 है।
- प्रत्येक मेले के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व निर्धारित स्थल/ग्राम से 0–7 कि0मी0 की परिधि में आने वाले ग्रामों में भ्रमण कर व्यापक प्रचार–प्रसार का कार्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

द्वारा नामित पशु चिकित्साधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं अन्य संबन्धित स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं इस कार्य हेतु उनकी ड्यूटी लगायी जायेगी।

- ग्रामों के भ्रमण के समय किये जाने वाले कार्य :–
  - बीमार पशुओं का चिन्हांकन एवं अभिलेखीकरण।
  - बॉझपन समस्या से ग्रसित दुधारू पशुओं का सर्वेक्षण एंवं अभिलेखीकरण।
  - लघु शल्य चिकित्सा की आवश्यकता के अनुरूप पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - गर्भ परीक्षण हेतु दुधारू पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - भ्रमण के समय पशुपालकों को यह भी अवगत कराना है कि मेले में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। मेले की निर्धारित तिथि को ऋतु काल में आने वाले पशुओं के पशुपालकों को पशुओं के साथ को प्रतिभाग करना।
  - उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर अभिलेखीकृत पशुओं के पशु स्वामियों को प्रेरित करना तथा मेले में प्रतिभाग सुनिश्चित कराना तथा सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।
- मेले से पूर्व समस्त आवश्यक औषधियों, उपकरणों अन्य सामग्रियों की ससमय व्यवस्था किया जाना।
- मेले में प्रतिभाग कर रहे कृषकों/पशुपालकों एवं उनके पशुओं का पंजीकरण मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तथा पशु हेल्थ कार्ड में किया जाना।
- प्रस्तावित शिविर में संबन्धित पशु चिकित्साविद के साथ–साथ चिकित्सा हेतु एक शल्य चिकित्सक, दो मादा रोग विशेषज्ञ, दो सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ, एक रोग निदान विशेषज्ञ एवं टीकाकरण/क्षेत्र का सर्वे कर बीमार जानवरों के चिन्हांकन एवं अन्य सहयोग हेतु एक पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट, चार पशुधन प्रसार अधिकारी, चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विकास खण्ड में क्रियाशील पशुमित्रों की ड्यूटी लगायी जायेगी।
- मेला आयोजन की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ भी करायी जानी है।
- मेला समाप्ति के उपरान्त अवशेष औषधियों की सूची तैयार किया जाना, यदि हो।
- मेले की अवशेष औषधियों की सूची मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 द्वारा संकलित कर उसके उपयोग हेतु पशुपालन निदेशालय से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना होगा।
- पशुपालन निदेशालय में कार्यरत अपर निदेशक (गोधन) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा उप निदेशक (मुख्यालय) उप–नोडल अधिकारी नामित है। नोडल अधिकारी द्वारा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण के साथ–साथ योजना की प्रगति से उच्चाधिकारियों को समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

5– <u>मेला आयोजन हेतु जनपद स्तरीय समिति</u>:–

मेला आयोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रस्तावित जनपद स्तरीय कार्य क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति निम्नवत् है :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	सामान्य प्रबन्धक (पी0सी0डी0एफ0)	सदस्य
5.	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, मु0प0चि0 अधिकारी कार्यालय	सदस्य
6.	बायफ के जनपदीय प्रतिनिधि	सदस्य
7.	उप–मुख्य चिकित्साधिकारी (पशुधन विकास)	सदस्य सचिव

6– उक्त समिति मेला के आयोजन एवं प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगी। आयोजन समिति द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री/माननीय पशुधन मंत्री/ माननीय पशुधन राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों, प्रगतिशील पशुपालकों के साथ–साथ प्रमुख सचिव/सचिव (जनपद प्रभारी) का नेतृत्व हेतु आंमत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

आयोजन समिति मेला में सुरक्षा व्यवस्था, कृषकों को पीने के पानी की व्यवस्था, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करेगी।

आयोजन समिति, मेला आयोजन का क्षण–प्रतिक्षण कार्यक्रम विवरण विकसित करते हुए आमंत्रण पत्र के साथ संलग्न कर जनप्रतिनिधियों/ उच्चाधिकारियों/अन्य महानुभावों को आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

7– वित्तीय प्रस्तावः–

7(1)- विभिन्न कार्यमद जो कार्यक्रम अंतर्गत लिये गये हैः–

मेला में टेण्ट कुर्सियॉ साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था, मेला हेतु औषधि, बैनर, बुकलेट, लीफलेट/पैम्फलेट, पशु स्वामी एवं पशु पंजीकरण हेतु हेल्थ कार्ड आदि ।

7(2)- प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में शासनादेश संख्या–1841(3)/सैतीस–2–2017–1(25)/2017 दिनांक–23 अक्टूबर, 2017 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में 153 न्याय पंचायत स्तरीय पशु आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान, उक्तानुसार आयोजित मेलों में व्यय धनराशि व अवशेष धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत हैः–

धनराशि रू0 लाख में

मानक मद	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि	शेष धनराशि
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.5000	0.1570	**0.3430**
18–प्रकाशन	10.0000	2.0120	**7.9880**
39–औषधि तथा रसायन	150.0000	15.0376	**134.9624**
42–अन्य व्यय	34.5000	5.5771	**28.9229**
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	40.00	0.00	**40.00**
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	15.00	0.00	**15.00**
योग–	**250.0000**	**22.7837**	**227.2163**

7(3)– वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्तानुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष 821 विकास खण्डों में पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों/मेलों के आयोजन में निहित भौतिक एवं वित्तीय उपाशय निम्नवत् है :–

क– औषधियों, प्रचार–प्रसार व अन्य व्ययों हेतु व्यवस्थित धनराशि का मदवार विवरण

धनराशि रू0 लाख में

क्र0	मद	संख्या	दर	821 मेलों हेतु	मानक मद
1	कृषक गोष्ठी हेतु टेण्ट 1000 वर्ग फीट में लगाने हेतु तथा 150 प्लास्टिक की कुर्सियॉ प्रति मेला/शिविर + साउण्ड सिस्टम– दो माईक, दो साधारण साउण्ड बाक्स	821	0.02500	20.52500	42– अन्य व्यय
2	अन्य व्यय	821	0.01020	8.37420	42– अन्य व्यय
3	मेला हेतु औषधि एवं मेला में प्रयोग हेतु मिनरल मिक्स्चर 100 पैकेट रू0 100 की दर से	821	0.16430	134.89030	39– औषधि एवं रसायन
4	बैनर 6 फीट लम्बा तथा 3 फीट चौडा	821	0.00312	2.56152	18–प्रकाशन
5	लीफलेट एवं पैम्फलेट 100 प्रति मेला	821	0.00100	0.82100	18–प्रकाशन
6	पशु स्वामी एवं पशु पंजीकरण हेतु हेल्थ कार्ड –हार्ड, प्रति मेला 100 कार्ड रू0 5 प्रति की दर से	821	0.00560	4.59760	18–प्रकाशन
7	पशु आरोग्य मेला पंजिका एवं अन्य स्टेशनरी	821	0.00041	0.33661	11–स्टेशनरी
	योग–		**0.20963**	**172.10623**	
	प्राविधानित बजट के सापेक्ष कुल शेष धनराशि			**172.21630**	
	बचत			**0.11007**	

ख– तहसील एवं विकासखण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों के लिये उपकरणों/सामग्रियों हेतु धनराशि का विवरण

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	मद	संख्या	दर	कुल धनराशि	मानक मद
1	हीट डिटेक्टर तीन यूनिट प्रत्येक तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालय	302	0.03230	9.75460	26–मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र
2	आबस्टेटिकल आपरेषन किट	302	0.05000	15.10000	26–मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

3	सामान्य सर्जिकल किट	302	0.05000	15.10000	**26—मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र**
4	ब्लाक पशु चिकित्सालयो हेतु ग्लास स्लाइड+कवर स्लिप, पेट्री डिस, पिपेट, पी0एच0 पेपर, एपरन, नाम पट्टिका, हैण्ड ग्लब्स, हाथ धोने का साबुन, तौलिया, डस्टर, कैप	821	0.01825	14.98325	**43—सामग्री एवं सम्पूर्ति**
			0.15055	**54.93785**	
प्राविधानित बजट के सापेक्ष शेष धनराशि				**55.00000**	
बचत				**0.06215**	

7(4)— उल्लेखनीय है कि परियोजनान्तर्गत उपकरणों/सामग्रियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 55.00 लाख में मदवार उपलब्ध धनराशि को 821 विकास खण्डों में उपकरणों एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित करने पर सम्यक उपयोग सम्भव न हो सकने की दशा में प्रदेश के 302 पशु चिकित्सालयों, जिनको तहसील स्तरीय दर्जा प्राप्त है, में मशीन साज—सज्जा एवं उपकरण तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जायेगी, जहॉ से विकासखण्डों में स्थापित पशु चिकित्सालयों को आवश्यकतानुसार/शिविर के आयोजन पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजनान्तर्गत स्लाइड, कवर स्लिप, पेट्री डिस, पिपेट, पी0एच0पेपर, एपरन, नाम पट्टिका, हैण्ड ग्लब्स, हाथ धोने का साबुन, तौलिया, डस्टर, कैप की व्यवस्था विकासखण्डों के पशु चिकित्सालयों पर की जायेगी।

(ख) पं0 दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविर/मेला (मण्डल स्तर पर)

1— प्रस्तावना:—

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2012 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 205.66 लाख गौवंशीय, 306.25 लाख महिषवंशीय, 13.54 लाख भेड़, 155.86 लाख बकरी, 13.34 लाख सूकर एवं 186.68 लाख (कुक्कुट) की संख्या को आधारित करते हुये पशुपालको को पशुचिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश के 70 प्रतिशत लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन कृषको द्वारा पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है। प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। पशुधन के माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 9 प्रतिशत का सीधा योगदान है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश, देश में दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है परन्तु अधिक दुग्ध उत्पादन प्रदेश की विशाल पशुधन संख्या मुख्यतः भैंसों के कारण है। प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता बहुत कम है, जो निम्नवत् हैः—

वर्तमान में गाय एवं भैंस का उत्पादकता का स्तर

पशु प्रजाति	दुग्ध उत्पादकता (कि0ग्रा0/प्रति पशु/प्रति दिन)
देशी गाय	2.59
संकर गाय	7.85
भैंस	4.66

विभाग में पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ—साथ कृषकों के सर्वागीण विकास हेतु कई लाभकारी योजनाए लागू की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017—18 में पशुओं में त्वरित गति से नस्ल सुधार, पशुधन बीमा, पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, जर्जर पशुचिकित्सालयों का उद्धार तथा गौशालाओं के सुदृढीकरण के साथ—साथ गोवंशीय पशुओं की रक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। गाय एवं भैंसों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य के किसानों के व्यापक विकास के लिए उचित तकनीक के साथ स्वदेशी नस्लों के संरक्षण हेतु प्रयत्नशील है।

राज्य में कम उत्पादक गोवंशीय प्रजाति की संख्या और दूध की बढ़ती मांग के कारण राज्य में पशु प्रजनन के आधारभूत स्वरूप में विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को और अधिक वैज्ञानिक/प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ—साथ उक्त सुविधा किसानों के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 21 करोड़ मानव आबादी के लिए अनाज और दलहन के अलावा दूध, मांस और अंडे खाद्य सुरक्षा के पूरक के रूप में हैं। मानव आबादी में वृद्धि के साथ पशुओं के उत्पादन में वृद्धि

की आवश्यकता है। वर्तमान स्तर के मुकाबले दूध उत्पादन में 10 प्रतिषत की वृद्धि के लिये आवश्यक है कि वर्तमान पशु प्रजनन आच्छादन को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि दुधारू पशुओं में बॉझपन समस्या से ग्रसित पशुओं को समय से समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में लाया जाय।

2— <u>योजना का उद्देश्यः</u>—

- ➢ शिविर में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, लघु शल्य चिकित्सा के साथ—साथ अनुर्वरता (बॉझपन) से ग्रसित दुधारू पशुओं की पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराकर उन्हें पुनः दुग्ध उत्पादन में लाया जाना।
- ➢ कृषकों को उन्नत पशु पालन हेतु जागरूक एवं क्षमता विकास करना।
- ➢ सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराना एवं लाभ प्राप्त करना।
- ➢ कृषकों को संतुलित पशु आहार, वर्ष भर हरे चारे के उत्पादन, समय से पशु टीकाकरण हेतु सजग होना, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ पशु प्रबन्धन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- ➢ पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषकों/पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।
- ➢ मेले में आये एवं इच्छुक पशुपालकों के पशुओं को पशुधन बीमा से लाभान्वित किया जायेगा।

3— <u>मेला आयोजन हेतु स्थल का चयनः</u>—

प्रत्येक मण्डल मुख्यालय के ऐसे न्याय पंचायत, जिसमें पशुओं की संख्या सबसे अधिक हो, के किसी एक ग्राम में निम्न मानकों को ध्यान में रखते हुए वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगाः—

- ➢ न्याय पंचायत के चिन्हित ग्राम में पशु आरोग्य मेला के आयोजन हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो।
- ➢ पशुओं को बांधने हेतु पर्याप्त जगह तथा पीने के पानी की उपलब्धता हो।
- ➢ ग्राम में आवागमन की उचित सुविधा एवं संपर्क मार्ग हो।
- ➢ चयनित क्षेत्र/ग्राम में अधिक से अधिक कृषक/पशुपालकों को अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग करने में यथा संभव कम से कम दूरी तय करनी पड़े।

4— <u>रणनीतिः</u>—

- ➢ प्रदेश के शेष 14 मण्डल मुख्यालय के जनपदों में वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगा क्योंकि 03 मण्डलों यथा कानपुर, मिर्जापुर एवं मुरादाबाद में मेले का आयोजन किया जा चुका है।
- ➢ मेला आयोजन का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निर्धारित है किन्तु यदि मेले में पशुओं की संख्या अधिक होती है तो मेला सांय 5.00 बजे के उपरान्त भी चलता रहेगा एवं समस्त पशुओं की चिकित्सा के उपरान्त तथा पशुपालन विभाग निदेशालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम को अवगत कराने एवं निर्देश प्राप्त होने पर ही मेले का समापन होगा।
- ➢ मेले के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पशुपालन निदेश ालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर : 0522—2740010 तथा टोल फ्री नम्बर : 1800 180 5141 है।
- ➢ प्रत्येक मेले के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व निर्धारित स्थल/ग्राम से 0—7 कि0मी0 की परिधि में आने वाले ग्रामों में भ्रमण कर व्यापक प्रचार—प्रसार का कार्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्साधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं अन्य संबन्धित स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं इस कार्य हेतु उनकी ड्यूटी लगायी जायेगी।
- ➢ ग्रामों के भ्रमण के समय किये जाने वाले कार्य :—
  - बीमार पशुओं का चिन्हांकन एवं अभिलेखीकरण।
  - बॉझपन समस्या से ग्रसित दुधारू पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - लघु शल्य चिकित्सा की आवश्यकता के अनुरूप पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - गर्भ परीक्षण हेतु दुधारू पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - भ्रमण के समय पशुपालकों को यह भी अवगत कराना है कि मेले में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। मेले की तिथि से पूर्व ऋतु काल में आने वाले पशुओं के पशुपालकों को पशुओं के साथ प्रतिभाग कर कृत्रिम गर्भाधान कराने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

- उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर अभिलेखीकृत पशुओं के पशु स्वामियों को प्रेरित करना तथा मेले में प्रतिभाग सुनिश्चित कराना तथा सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।

➢ मेले से पूर्व समस्त आवश्यक औषधियों, उपकरणों अन्य सामग्रियों की ससमय व्यवस्था की जायेगी।

➢ मेले में प्रतिभाग कर रहे कृषकों/पशुपालकों एवं उनके पशुओं का पंजीकरण मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तथा पशु हेल्थ कार्ड में किया जायेगा।

➢ प्रस्तावित शिविर में सम्बन्धित पशु चिकित्साविद् के साथ–साथ चार शल्य चिकित्सक, चार मादा रोग विशेषज्ञ, चार सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ, चार रोग निदान विशेषज्ञ एवं टीकाकरण/क्षेत्र का सर्वे कर बीमार जानवरों के चिन्हांकन एवं अन्य सहयोग हेतु चार पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट, दस पशुधन प्रसार अधिकारी, दस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विकास खण्ड में क्रियाशील पशुमित्रों की ड्युटी लगायी जायेगी।

➢ मेला आयोजन की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जायेगी।

➢ मेला समाप्ति के उपरान्त अवशेष औषधियों की सूची तैयार की जायेगी, यदि अवशेष हो।

➢ मेले की अवशेष औषधियों की सूची मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 द्वारा संकलित कर उसके उपयोग हेतु पशुपालन निदेशालय से पृथक से आदेश प्राप्त किया जायेगा।

➢ पशुपालन, मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (गोधन) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा उप–निदेशक (मुख्यालय) उप–नोडल अधिकारी नामित है। नोडल अधिकारी द्वारा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण के साथ–साथ योजना की प्रगति से उच्चाधिकारियों को समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

5– <u>मेला आयोजन हेतु जनपद स्तरीय समिति</u> :–

जनपद स्तर पर मेला आयोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रस्तावित जनपद स्तरीय कार्य क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति निम्नवत् है :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मण्डलीय अपर निदेश क (ग्रेड–2), पशुपालन विभाग	सदस्य
4.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
5.	सामान्य प्रबन्धक (पी0सी0डी0एफ0)	सदस्य
6.	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय	सदस्य
7.	बायफ के जनपदीय प्रतिनिधि	सदस्य
8.	उप–मुख्य चिकित्साधिकारी (पशुधन विकास)	सदस्य सचिव

6– उक्त समिति मेले के आयोजन एवं प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगी। आयोजन समिति द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री/माननीय पशुधन मंत्री/माननीय पशुधन राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों, प्रगतिशील पशुपालकों के साथ–साथ प्रमुख सचिव/सचिव (जनपद प्रभारी) को नेतृत्व हेतु आंमत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आयोजन समिति मेले में सुरक्षा व्यवस्था, कृषकों को पीने के पानी की व्यवस्था, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करेगी। उक्त के साथ ही साथ मेले में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं, लाइन्स क्लब/रोटरी क्लब सदस्य, महिला समाख्या, दुग्ध उपार्जन एवं प्रसंस्करण, कृभकों, इफ्को आदि संस्थाओं का सहयोग/प्रतिभाग सुनिश्चित कराया जायेगा।

आयोजन समिति, मेला आयोजन का क्षण–प्रतिक्षण कार्यक्रम विवरण विकसित करते हुए आमंत्रण पत्र के साथ संलग्न कर जनप्रतिनिधियों/उच्चाधिकारियों/अन्य महानुभावों को आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

7– <u>वित्तीय प्रस्ताव</u> :–

<u>7(1)- विभिन्न कार्यमद जो कार्यक्रम अंतर्गत लिये गये हैं</u> :–

मेला में टेण्ट कुर्सियॉ साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था, मेला हेतु औषधि, बैनर, बुकलेट, लीफलेट/पैम्फलेट, पशु स्वामी एवं पशु पंजीकरण हेतु हेल्थ कार्ड आदि।

7(2)- चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आयोजित किये गये 03 तथा आयोजित किये जाने वाले शेष 14 अर्थात् कुल 17 वृहद् पशु आरोग्य मेलों पर प्रस्तावित व्यय का विवरण :–

प्रश्नगत कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत बजट से पूर्व में शासनादेश सं0–1841(3)/सैतीस–2–2017–1(25)/2017, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में 03 वृहद पशु आरोग्य मेलों का आयोजन कानपुर, मिर्जापुर व मुरादाबाद मण्डलों में किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में हुई बजट व्यवस्था रू0–250.00 लाख में से उक्तानुसार मेलों के आयोजन में व्यय की गई रू0–39.58537 लाख की धनराशि के समायोजन के उपरान्त विभिन्न मानक मदों में अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

धनराशि रूपये लाख में

मानक मद	बजट व्यवस्था	व्यय धनराशि	अवशेष
02–मजदूरी	1.25000	0.09000	**1.16000**
04–यात्रा व्यय	8.50000	0.50000	**8.00000**
11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.25000	0.06000	**0.19000**
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00000	0.49600	**5.50400**
18–प्रकाशन	6.50000	2.31500	**4.18500**
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	17.00000	0.82231	**16.17769**
39–औषधि तथा रसायन	136.00000	8.11153	**127.88847**
42–अन्य व्यय	71.10000	26.39053	**44.70947**
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	3.40000	0.80000	**2.60000**
शेष	**250.00000**	**39.58537**	**210.41463**
मण्डल गोरखपुर में दो दिनों का शिविर होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता मानक मद 42 अन्य व्यय में			**10.00000**
अवशेष धनराशि, जिसमें एक दिवसीय 14 मेलों का आयोजन किया जाना है।			**200.41463**

7(3)– वृहद पशु आरोग्य शिविर/मेलों हेतु उपलब्ध बजट के सापेक्ष अभी तक आयोजित हो चुके 03 मेलों में व्यय धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि से 14 मण्डलों में मेलों का आयोजन किए जाने हेतु धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत् है:–

(धनराशि लाख में)

क्र0	मद	कुल मेले	नवीन दर	कुल धनराशि
1	कृषक गोष्ठी हेतु टेण्ट लगाने, स्टेज व्यवस्था, 400 प्लास्टिक की कुर्सियॉ 12 स्टाल तैयार करने, स्टेज	14	1.00000	14.00000
2	साउन्ड सिस्टम जनरेटर बैक–अप, परिसर की सजावट, गेट सज्जा, स्टेज सज्जा इत्यादि	14	1.00000	14.00000
3	अन्य व्यय	14	0.47900	6.70600
4	मेला हेतु औषधि	14	7.13450	99.88300
5	मेला हेतु 2000 पैकेट मिनरल मिक्स्चर हेतु	14	2.00000	28.00000
6	विज्ञापन–मेले के प्रचार–प्रासार के संबन्ध में	14	1.15500	16.17000
7	यात्रा व्यय	14	0.57100	7.99400
8	पी0ओ0एल0 आदि	14	0.39300	5.50200
9	बैक ड्राप	14	0.05850	0.81900
10	बैनर 8 फीट लम्बा तथा 4 फीट चौडा / प्रति मेला 5 बैनर की दर से	14	0.03000	0.42000
11	मेला में पशुपालन साहित्य का वितरण बुकलेट जिसमें छोटे एवं बड़े पशुओं की बीमारियों का सचित्र विवरण, बीमारियों से बचाव एवं सावधानियॉ, टीकाकरण समय सरीणी, कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रत्यारोपण, सेक्स्ड सार्टेड वीर्य से मादा संतति की प्राप्ति, संतुलित आहार, वर्ष भर	14	0.13000	1.82000

	हरे चारे की उपलब्धता से संबन्धित विवरण हिन्दी में तथा सरल भाषा में तैयार किया जाना।			
12	लीफलेट/पैम्फलेट 1000 प्रति मेला 75 जी.एस.एम. फोर कलर प्रिन्टिंग रू0 2 प्रति की दर से	14	0.02000	0.28000
13	पशु स्वामी एवं पशु पंजीकरण हेतु हेल्थ कार्ड प्रति मेला 1000 कार्ड रू0 6/- प्रति कार्ड की की दर से	14	0.06000	0.84000
14	प्रति मेला स्टेशनरी	14	0.01350	0.18900
15	मेला परिसर की साफ-सफाई	14	0.08250	1.15500
16	मेले में लाये गये पशुओं हेतु संकेन्द्रित आहार हेतु रू0 18.5/- प्रति पशु की दर से 1000 पशुओं हेतु	14	0.18500	2.59000
	कुल योग		**14.31200**	**200.36800**

7(4)- **बजट व्यवस्था के सापेक्ष मानक मदवार धनराशि की आवश्यकता का विवरण:-**

(रू0 लाख में)

मानक मद	उपलब्ध बजट	धनराशि की आवश्यकता
02-मजदूरी	1.25000	1.24500
04-यात्रा व्यय	8.50000	8.49400
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.25000	0.24900
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00000	5.99800
18-प्रकाशन	6.50000	6.49400
19-विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	17.00000	16.99231
39-औषधि तथा रसायन	136.00000	135.99453
42-अन्य व्यय	71.10000	71.09653
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	3.40000	3.39000
योग-	**250.00000**	**249.95337**

(रू0 दो करोड़ उन्चास लाख पच्चान्नवे हजार तीन सौ सैंतीस मात्र)

7(5)- तदनुसार व्यवस्थित धनराशि से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में कुल 14 पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर) का आयोजन किये जाने हेतु संशोधित कैलेण्डर/तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत हैः-

क्र0स0	मण्डल / जनपद	शिविर/मेला के आयोजन की तिथि	दिन/विवरण
1	अलीगढ़	20.01.2018	शनिवार
2	फैजाबाद	21.01.2018	रविवार
3	लखनऊ	27.01.2018	शनिवार
4	इलाहाबाद	28.01.2018	रविवार
5	मेरठ	03.02.2018	शनिवार
6	बस्ती	04.02.2018	रविवार
7	चित्रकूट धाम	10.02.2018	शनिवार
8	बरेली	11.02.2018	रविवार
9	आजमगढ़	17.02.2018	शनिवार
10	गोरखपुर	18.02.2018	रविवार

11	झाँसी	24.02.2018	शनिवार
12	सहारनपुर	25.02.2018	रविवार
13	देवीपाटन	10.03.2018	शनिवार
14	आगरा	11.03.2018	रविवार

8— पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपरोक्तानुसार पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेलों (विकासखण्ड स्तर पर) एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन किये जाने के प्रशासकीय आदेश एवं वित्तीय कार्ययोजना एतद्द्वारा निर्गत की जा रही है।

कृपया तदनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0—78(1)/सैंतीस—2—2018— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।